ग्राम पंचायत अन्हेच, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 **प्रस्तावना:—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच (5)—सी (15) एलएडी/2006—12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत अन्हेच, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान

क्रमांक	**नाम**	**अवधि**
1	श्रीमती आशा देवी	1.4.14 से 22.1.16
2	श्री सुरेन्द्र ठाकुर	23.1.16 से 31.3.17

सचिव

क्रमांक	**नाम**	**अवधि**
1	कुमारी निशा	1.4.14 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:—

ग्राम पंचायत अन्हेच, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्रमांक	**पैरा सं0**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	6	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना	—
2	7	वित्तीय नियमों की अवहेलना	—
3	7.3	खाता ख के ब्याज को खाता क में अन्तरित न किया जाना	0.06

4	9	पंचायत राजस्व की वसूली न करना	0.11
5	12	अनुदान राशियों का अवरोधन	14.14
6	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	17.51

भाग—दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः—**

ग्राम पंचायत अन्हेच, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि 1.4.14 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 25.4.17 से 8.5.17 तक ग्राम पंचायत अन्हेच के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः 07/2014, 09/2015, 12/2016 व 09/2014, 08/2015, 12/2016 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्कः—**

ग्राम पंचायत अन्हेच विकास खण्ड सोलन जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37 दिनांक 6.5.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत अन्हेच से अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थितिः—**

ग्राम पंचायत अन्हेच द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः—

4.1 स्वः स्त्रोतः—

ग्राम पंचायत अन्हेच के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोतों (खाता क) की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	753054	81287	834341	24286	810055
2015–16	810055	169490	979545	29477	950068
2016–17	950068	130864	1080932	84587	996345

4.2 अनुदानः—

ग्राम पंचायत अन्हेच के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता ख) का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 तथा 2** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	260789	2701167	2961956	2679864	282092
2015–16	282092	3421245	3703337	2817294	886043
2016–17	886043	2482021	3368064	1954231	1413833

5 बैंक समाधान विवरणीः—

ग्राम पंचायत अन्हेच का अंकेक्षण अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक की बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से हैः—

(क) दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही के अनुसार शेषः—

स्वयं स्त्रोत	996345
अनुदान	1413833
योग	2410178

(ख) दिनांक 31.3.17 को बैंक पास बुक के अनुसार शेष

खातों के अनुसार **(परिशिष्ट–3)**	2409283
हस्तगत राशि	895
योग	2410178
अन्तर	शून्य

6 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना:—

(क) रोकड़ बही के अवलोकन से पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही तथा बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान करना अनिवार्य था। इस प्रकार पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत अन्हेच (सोलन) द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के दौरान बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी और न ही अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई। अतः उक्त अवधि की बैंक समाधान विवरणी तैयार करके की गई कार्यवाही की अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना:—

7.1 रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न करना:—

ग्राम पंचायत अन्हेच की रोकड़ बही के अवलोकन मे पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) की रोकड़ बही के लेखांकन में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। ग्राम पंचायत अन्हेच के लेखों की जाँच में रोकड़ बही के लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त व वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेखित है। परन्तु ग्राम पंचायत अन्हेच में रोकड़ बही के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गंई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 नियमों के विरूद्ध दस बैंक बचत खातों का खोला जाना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक बचत खाते खोले जानें का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत अन्हेच में दो के स्थान पर **परिशिष्ट–3** मे वर्णित दस बचत बचत खाते खोले गए है। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन आठ अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

7.3 खाता "ख" के ₹6120 के ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत अन्हेच के चैक खातों की जाँच उपरान्त पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹6120 खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित किया जाना था। परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता "ख" के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

7.4 वर्गीकृत सार को तैयार न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय व एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन–देनों के लिए अलग–अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार के बनाये जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट क अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत अन्हेच द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान

पंचायत में आय तथा व्यय के आंकडों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ में आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का विवरण तैयार करने में अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

8 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि रखना:–

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। प्रत्येक प्राप्त राशि को बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित है तथा भुगतान चैक/RTGS के माध्यम से किया जाना चाहिए। केवल Imprest की राशि ही हस्तगत रखी जा सकती है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्स में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	राशि (₹) में
1	2.5.14	2093
2	5.5.14	2721
3	20.5.14	2542
4	21.6.14	1381
5	9.7.14	1610
6	20.8.14	5432
7	28.8.14	6042
8	5.9.14	5700

9 पंचायत राजस्व ₹0.12 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:–

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत अन्हेच द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत के राजस्व की ₹11663 वसूली हेतु शेष थी

(क) मोबाईल टावर शुल्क:– पंचायत क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा स्थापित किए गए मोबाईल टावरों ₹2000 दिनांक 31.3.17 तक वसूली हेतु शेष थी।

क्र0सं0	वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली योग्य शेष राशि
1	2014—15	0	10500	10500	8500	2000
2	2015—16	2000	7000	9000	7000	2000
3	2016—17	2000	7000	9000	7000	2000

(ख) दुकानों से किराया:—

ग्राम पंचायत अन्हेच की दुकानों के किराए से सम्बन्धित ₹9663 दिनांक 31.3.2017 तक वसूली हेतु शेष थी:—

क्र0सं0	वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली योग्य शेष राशि
1	2014—15	30748	33132	63880	27706	36174
2	2015—16	36174	34752	70926	66573	4353
3	2016—17	4353	36456	40809	31146	9663

अतः उपरोक्त वर्णित राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 **निवेश:—**

ग्राम पंचायत अन्हेच द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी सावधिक जमा में निवेश नहीं किया गया था।

11 **बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:—**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप—11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

12 **अनुदान की ₹14.14 लाख का अवरोधन:—**

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹1413833 उपयोग हेतु शेष थी। यदि इन्ही परिशिष्टों में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि अवरोधित अनुदान राशियों की मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। जहाँ 31.03.

2015 को यह ₹282092 थी वहीं 31.3.2017 तक यह बढ़ कर ₹1413833 हो गई है। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि में व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹17.51 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 67 (4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–4** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1751196 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया है जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय की गई मदों का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

14 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रजिस्टरों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

1) स्टॉक रजिस्टर

2) चल व अचल सम्पति रजिस्टर

3) जल प्रभार रजिस्टर

4) भवनों व दुकानों के किराये से सम्बन्धित रजिस्टर

5) अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर

6) अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर

7) गृह कर वसूली रजिस्टर

8) डाक–टिकट रजिस्टर

9) निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि

15 प्रत्यक्ष सत्यापन:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई व अस्थाई भण्डार का रजिस्टरों में इन्द्राज किया गया है और न ही सत्यापन किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विविध अनियमितताऐं:–

16.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत अन्हेच द्वारा नहीं की जा रही है।

16.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर सेवाकर, लेबर सैस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

16.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62 (1) के अन्तर्गत सीटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत अन्हेच में इस फीस के बिलों की जाँच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया है। अतः इस नियम के विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 **लघु आपत्ति विवरणिका:–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

18 **निष्कर्ष:–** लेखों के रख रखाव में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अतः इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं के रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं।

Rakesh Kalra 20/11/17

21 NOV 2017

(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

6863–6866 o/c

पृष्ठांकन संख्या:– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iv) 18/2017–खण्ड–1 दिनाँक शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सोलन, तहसील सोलन जिला सोलन, हि0प्र0
4. पंजीकृत — सचिव, ग्राम पंचायत अन्हेच, विकास खण्ड सोलन, तहसील सोलन जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

Rakesh Kalra 20/11/17

(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
o/c फोन नं0–0177 2620881

ANNEXURE-A – (पैरा 4.1 व 4.2 में संदर्भित)

Financial Position of Aehech Panchayat for the year 04/14 to 03/2017

1. Own resource

Year	Opening Balance	Receipt during the year	Total	Expenditure	Colsing Balance
2014-2015	753054	81287	834341	24286	810055
2015-2016	810055	169490	979545	29477	950068
2016-2017	950068	130864	1080932	84587	996345

Financial Position of Anhech Panchayat for the year 04/14 to 03/2017

2. Grant -in-aids

Year	Opening Balance	Receipt during the year	Total	Expenditure	Colsing Balance
2014-2015	260789	2701167	2961956	2679864	282092
2015-2016	282092	3421245	3703337	2817294	886043
2016-2017	886043	2482021	3368064	1954231	1413833
				~~Total~~	~~2581998~~

सचिव
ग्राम पंचायत अन्हेच
विकास खण्ड सोलन (हि० प्र०)

ANNEXURE-2 — (पैरा 4.2 में संदर्भित)

Financial Position of Grant in aid of Anhech Panchayat for the year 2014-05 to 2016-17

Sr No	Particulars	Year	Opening Balance	Receipts during the year	Total Rs	Expenditure	Closing Balance
1	Mnrega	2014-2015	7383	141961	149344	149344	0
		2015-2016	0	652112	652112	652112	0
		2016-2017	0	296110	296110	296110	0
2	Indira Awas Yojna	2014-2015	15000	47700	62700	62700	0
		2015-2016	0	37500	37500	35989	1511
		2016-2017	1511	0	1511	1511	0
3	Water Shed (IWMP)	2014-2015	60000	100000	160000	0	160000
		2015-2016	160000	0	160000	160000	0
		2016-2017	0	334800	334800	334800	0
4	Pardhan Mantri Adarsh Gram Yojna	2014-2015	0	2000000	2000000	1920117	79883
		2015-2016	79883	1806980	1886863	1728550	158313
		2016-2017	158313	0	158313	158313	0
5	NHRM	2014-2015	8000	10000	18000	0	18000
		2015-2016	18000	0	18000	0	18000
		2016-2017	18000	0	18000	0	18000
6	14 FC	2014-2015	0	0	0	0	0
		2015-2016	0	493826	493826	0	493826
		2016-2017	493826	685378	1179204	365263	813941
7	13 FC	2014-2015	150658	108185	258843	255656	3187
		2015-2016	3187	28029	31216	16335	14881
		2016-2017	14881	0	14881	0	14881
8	Water Shed (IWMP NIDHI)	2014-2015	0	50000	50000	50000	0
		2015-2016	0	43200	43200	0	43200
		2016-2017	43200	75000	118200	75000	43200
9	Panchayat Samiti(BDC)	2014-2015	0	0	0	0	0
		2015-2016	0	102832	102832	70220	32612
		2016-2017	32612	42130	74742	74742	0
10	Total Sanitation Campaign	2014-2015	0	15588	15588	0	15588
		2015-2016	15588	0	15588	0	15588
		2016-2017	15588	825000	840588	403476	437112
11	DCP 5%	2014-2015	0	100000	100000	100000	0
		2015-2016	0	0	0	0	0
		2016-2017	0	0	0	0	0
12	ICDP	2014-2015	0	0	0	0	0
		2015-2016	0	60000	60000	0	60000
		2016-2017	60000	58800	118800	118800	0
13	VKVNY	2014-2015	0	0	0	0	0
		2015-2016	0	50000	50000	50000	0
		2016-2017	0	0	0	0	0
	3rd State	2014-2015	19748	127733	147481	142047	5434
		2015-2016	5434	146766	152200	104088	48112
14		2016-2017	48112	164802	212914	126215	86699
			1428924	8604432	10033356	7451388	2581968

Checked and found

31-3-15 282092/-

31-3-17 1413833/-

ग्राम पंचायत अन्हेच

परिशिष्ट – 3 (पैरा 7.2 में संदर्भित)

कार्यालय ग्राम पंचायत अन्हेच

पत्रालय बोहली तह0 व जिला सोलन हि0 प्र0

दिनांक 31/03/2017 को बैंक खातों के शेषों का विवरण।

कम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1	100734029000228	जे0सी0सी0 धर्मपूर	293230
2	101834022000053	जे0सी0सी0 सोलन	20616
3	101834022000010	जे0सी0सी0 सोलन	570825
4	05160100006130	युको बैंक कुमारहटटी	587394
5	101834029100021	जे0सी0सी0 सोलन	87540
6	50100154261689	एच0डी0एफ0सी0सोलन	820061
7	101834022000045	जे0सी0सी0 सोलन	3396
8	101834022000020	जे0सी0सी0 सोलन	3427
9	101834022000080	जे0सी0सी0 सोलन	22794
10	05160100000230	युको बैंक कुमारहटटी	0
		कुल योग	**2409283**

Checked

(signature)

खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड सोलन (हि0प्र0)

परिशिष्ट—04

औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टाक स्टोर का कय करना (पैरा संख्या 13 में सन्दर्भित)

कम संख्या	दिनांक	वाउचर सख्या	रोकड बही पृष्ठ संख्या	विवरण	राशि
	पी0एम0ए0 जी0वाई0				
1	23/9/14	5	17	सीमेंन्ट टाईल	1,68,000/—
2	23/9/14	6	17	सीमेंन्ट टाईल	1,44,000/—
3	23/9/14	7	17	सीमेंन्ट टाईल	1,92,000/—
4	23/9/14	8	18	सीमेंन्ट टाईल	2,40,000/—
5	23/9/14	9	18	सीमेंन्ट टाईल	1,08,000/—
6	23/9/14	10	18	सीमेंन्ट टाईल	1,08,000/—
7	23/9/14	11	18	सीमेंन्ट टाईल	1,20,000/—
8	1/8/15	21	36	सीमेंन्ट टाईल	48,500/—
9	1/8/15	22	36	सीमेंन्ट टाईल	42,437/—
10	1/8/15	23	36	सीमेंन्ट टाईल	48,500,/—
11	3/8/15	24	37	सीमेंन्ट टाईल	48,500/—
12	3/8/15	25	37	सीमेंन्ट टाईल	11,640/—
13	3/8/15	26	37	सीमेंन्ट टाईल	26,675/—
14	3/8/15	27	37	सीमेंन्ट टाईल	26,675/—
15	3/8/15	28	37	सीमेंन्ट टाईल	42,437/—
16	3/8/15	29	37	सीमेंन्ट टाईल	48,500/—
17	10/8/15	30	38	सीमेंन्ट टाईल	48,500/—
18	21/8/15	32	39	सीमेंन्ट टाईल	36,375/—
19	21/8/15	43	41	रेत	38,650/—
20	21/8/15	44	41	बजरी	44,750/—
	जलागम				
21	31/12/16	7	47	पत्थर	36,000/—
22	31/12/16	8	47	पत्थर	42,525/—
23	31/12/16	9	47	पत्थर	40,162/—
24	31/12/16	10	47	पत्थर	40,370/—
				कुल योग	17,51,196/—

Checked